

प्रेस नोट दिनांक-22.02.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 5 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(क). उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना रैपुरा तथा आरक्षी लाखन सिंह द्वारा मु0अ0सं0 08/15 धारा 272 भादवि0 व 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त कमलेश पुत्र छेदीलाल सोनकर निवासी इटवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री योगेंद्र कुमार सिंह थाना पहाड़ी मय हमराह कांस्टेबल पंकज कुमार द्वारा अ0सं0 71/13 धारा 323/325/504/506/427 भादवि व 3(1)5 एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त 1. रामदीन पुत्र राजेंद्र तिवारी निवासी दरसेडा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को को गिरफ्तार किया गया।

(ग). उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना पहाड़ी व कांस्टेबल जलील द्वारा अ0सं0 164/18 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त जगदेव प्रसाद पुत्र महादेव निवासी शिवपुरी मजरा नांदी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट तथा अ0सं0 84/18 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त मुन्नालाल पुत्र शिवमंगल निवासी कस्बा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(घ). उ0नि0 श्री धनन्जय राय थाना भरतकूप तथा आरक्षी वकील कुमार सेन द्वारा मु0अ0 430/18 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त रामनरेश पुत्र रामनिहोरी पटेल निवासी भवानीपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अवधेश कुमार शुक्ला उनकी टीम द्वारा अशोक चौराहा के पास से अभियुक्त रमेश निषाद पुत्र राजभवन निवासी मटियारा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

05 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार शुक्ला थाना मऊ
2. मुख्य आरक्षी संदीप उपाध्याय

(3). आज दिनांक 22.02.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा जिला अस्पताल सोनेपुर में कोविड-19 की वैक्सीन की पहली डोज का टीका लगवाया गया। इस दौरान महोदय द्वारा सभी लोगों से अपील की गयी कि अपना नम्बर आने पर समय से यह टीका अवश्य लगवायें जिससे कोरोना की इस लड़ाई में सबकी जीत हो सके।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर घरेलु के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती जावित्रि पत्नी लाला रैदास निवासी ग्राम रामपुर कल्याणगढ़ थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनका दामाद मनीष पुत्र दुबासे निवासी ग्राम पुरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा उनकी पुत्री को लेने नहीं आ रहा है । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 22.02.2021 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर दोनों पक्षों को आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(5). आज दिनांक 22.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री अनिल कुमार सिंह तथा चौकी प्रभारी गनीवा श्री अजय कुमार जायसवाल द्वारा न्यायालय श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट महोदय से निर्गत संपत्ति जप्ति वारण्ट अंतर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अश्वनी कुमार पांडेय पुत्र बाबूलाल निवासी गनीवा जनपद चित्रकूट का वाहन ट्रैक्टर कीमत लगभग 3 लाख रुपये को जब्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया।

(6). आज दिनांक 22.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह द्वारा न्यायालय श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट महोदय से निर्गत संपत्ति जप्ति वारण्ट अंतर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट बनाम गौरी उर्फ उदयभान पुत्र बाबूलाल यादव निवासी बिलहरी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को उसकी मां श्रीमती रजनी उर्फ राजरानी के देकर तामीला कराया गया। इसी क्रम में विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत उदघोषणा धारा 82 जा0फौ0 की एक प्रति अभियुक्त के घर के मुख्य द्वार पर गवाहों के समक्ष चस्पा कर तामीला की कार्यवाही की गयी तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत उदघोषणा के सम्बन्ध में ग्राम में मुनादी करायी गयी । यदि अभियुक्त हाजिर या गिरफ्तार न हुआ तो माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर अभियुक्त की चल संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।

(7). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 22.02.2021 को एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा धुस मैदान, तरौहा में, चकरेही चौराहा में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा द्वारा तुलसी मंदिर एवं कस्बे में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया । एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(8). चौरा चौरा जनक्रान्ति शताब्दी महोत्सव के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक-22.02.2021 को श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स की अध्यक्षता में श्री सुमरे सिंह प्रतिसार निरीक्षक पुलिल लाइन्स एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी की उपस्थिति में काली देवी चौराहा कर्वी में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गयी एवं उनकी याद में बैण्ड धुन के साथ राष्ट्रगान, राष्ट्रीयगीत एवं देशभक्ति गीत गायन किया गया ।